यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/74/2018 **दिनांक :** 11.07.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

देना बैंक की परिस्थितियाँ और हमारा दायित्व

हम काफी लम्बे समय से यह अनुभव कर रहे हैं कि एक–एक करके सुधारात्मक उपाय लागू करने के नाम पर बैंकों को कठिनाई में डाला जा रहा है। ऐसी ही परिस्थितियों से आज देना बैंक गुजर रहा है। यह एक स्पष्ट रूप से समझने वाली बात है कि अत्याधिक प्रतिबंध एक दिन देना बैंक का गला ही घोंट डालेंगे और इसीलिए एआईबीईए तथा एआईबीओए के शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि परिस्थितियों को बहुत समय तक ऐसे नहीं चलने दिया जा सकता और इसीलिए 10 जुलाई को दिल्ली में हुई एक बैठक में कुछ कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। हम आपकी सूचना एवं संज्ञान के लिए एआईबीईए तथा एआईबीओए के संयुक्त परिपत्र संख्या 2018/5 दिनांक 10.7.2018 का अनुदित सार नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

- **देना बैंक की हत्या न करें**
- **ऋण देने पर से प्रतिबंध हटायें**
- **खराब ऋणों की वसूली सुनिश्चित करें**
- **शाखाओं की अंधाधुंध बन्दी को रोकें**
- **अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों सहित भर्तियां जारी करें**

हमारी सभी इकाईओं तथा सदस्यों को ज्ञात है कि बैंकों में खराब ऋणों के बढ़ने से प्रावधानों में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप बैंक घाटे में समाप्त हो रहे हैं और उनकी पूंजी में क्षरण हो रहा है। चूंकि ये बैंकों के स्वास्थ्य के संबंध में गंभीर चिन्ता का विषय है, आरबीआई ने अब तक 11 बैंकों पर पीसीए (त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही) मानदंड लागू किया है। ऐसी खबरें हैं कि कुछ और बैंक जल्द ही इस श्रेणी में आयेंगे।

जबकि अधिकांश बैंक विशाल खराब ऋणों, उच्च प्रावधान और शुद्ध घाटे की समस्या का सामना कर रहे हैं, और बैंक टर्नअराउंड रणनीतियों पर कार्य कर रहे हैं, हाल में आरबीआई ने देना बैंक को निर्देश जारी किए हैं कि बैंक कोई नया उधार नहीं दे सकता अथवा किसी ऋण को मंजूरी नहीं दे सकता है और बैंक में भर्तियों और नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी है। यह समझाने की जरूरत नहीं है कि ये उपाय बैंक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे और बैंक को वास्तव में अपंग कर देंगे।

बैंक को इसके सामान्य स्वास्थ्य में वापस लाने के लिए खराब ऋणों को वसूल करने, फजूलखर्चों को कम करने, ब्याज आय और अन्य राजस्व में वृद्धि करने, पूंजी को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। बैंक को अपंग बनाना

जारी पृष्ठ 2

समाधान नहीं है, बल्कि यह आत्मघाती होगा। जब सभी बैंक समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे निर्देशों और कठोर उपायों के साथ देना बैंक को अलग करना उचित नहीं है।

कोई भी उच्च मूल्य जमाराशियों को गिराने और कम लागत अग्रिमों को हतोत्साहित करने को समझ सकता है। कोई भी बड़े ऋणों की मंजूरी में कुछ सतर्कता को समझ सकता है। लेकिन क्या कोई बैंक बिल्कुल उधार देना टाल सकता है ? क्या एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण रोक सकता है और सामाजिक ऋण देना रोक सकता है अथवा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर भाग सकता है ?

आरबीआई के निर्देश के नाम पर, अंधाधुंध शाखा बन्दी के प्रयास हैं। यहाँ तक कि लाभ कमाने वाली शाखाओं को भी बंद करने के प्रयास हैं। हम अलाभकारी शाखाओं के विलय अथवा बेहतर स्थानों पर शाखाओं के स्थानांतरण को समझ सकते हैं। लेकिन हम बड़े पैमाने पर शाखाओं की बन्दी के लिए सहमत नहीं हो सकते क्योंकि शाखायें किसी भी बैंक के लिए व्यवसायिक स्थल और लाभ का केन्द्र हैं।

इसी प्रकार, पर्याप्त कार्यबल व्यवसाय के विकास के लिए एक पूर्व–आवश्यकता है। पहले से ही कर्मचारी और अधिकारी बैंक के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं और बैंक का बेहतर स्वास्थ्य बहाल करने के लिए सभी उपायों में और अधिक सहयोग देने के इच्छुक हैं। लेकिन भर्ती पर प्रतिबंध के माध्यम से कार्यबल को निरूत्साहित किया जा रहा है और यहां तक कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों पर भी रोक लगाई जा रही है। पर्याप्त कर्मचारियों के बिना, पुनरूद्धार रणनीतियों को कौन लागू करेगा ?

आरबीआई के इन क्रूर और अनुचित निर्देशों को देखते हुए, आज दिल्ली में आयोजित एक बैठक में एआईडीबीईसीसी तथा एआईडीबीओयू के नेतृत्व के साथ एआईबीईए तथा एआईबीाओए ने इस मुद्दे पर चर्चा की। चर्चा के उपरांत, निम्नलिखित कार्यक्रमों को आंरभ करने का निर्णय लिया गया :

- **आरबीआई के निर्देश को वापस लेने की आवश्यकता पर हमारा ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री से मिलना**
- **प्रतिबंध को रद्द करने के मुद्दे को उठाने के लिए गवर्नर, आरबीआई से मिलना**
- **वर्तमान गड़बड़ी से बैंक को बाहर निकालने के लिए संयुक्त प्रयासों के लिए राजी करने के लिए देना बैंक के उच्च प्रबंधन से मिलना**
- **आरबीआई निर्देश के विरूद्ध प्रतिरोध के लिए 20 महत्वपूर्ण केन्द्रों में धरना आयोजित करना (मुम्बई, दिल्ली, कोलकता, चैन्नई, अहमदाबाद, गांधी नगर, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, भावनगर, मेहसाणा, हैदराबाद, बैंगलोर, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, पटना, रांची, पुणे तथा नासिक)**
- **विशाल बैठकों, प्रदर्शनों तथा बैज धारण करने, आदि सहित देना बैंक में अखिल भारतीय माँग दिवस मनाना**
- **प्रतिबंध पर पुर्नविचार करने के लिए देना बैंक के सभी कर्मचारियों द्वारा गवर्नर, आरबीआई को सामूहिक ज्ञापन प्रस्तुत करना**

साथियों, जब बैंक चुनौतिपूर्ण समय से गुजर रहे हैं, जब बैंक मुख्य रूप से विशाल खराब ऋणों के कारण घाटे से पीड़ित हैं, तो प्राथमिकता कार्यबल के सहयोग से इन चुनौतियों को दूर करने की और बदलाव के लिए व्यवहारिक और सकारात्मक उपाय करने की होनी चाहिए। हम आरबीआई के इस तरह के प्रतिगामी और प्रतिकूल निर्देशों को अनुमति नहीं दे सकते जो बैंक के स्वास्थ्य को और खराब कर देंगे। इसलिए हम सभी को देना बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ भाईचारे में खड़े होने की आवश्यकता है जब कि उनके बैंक को आरबीआई द्वारा अलग करने के प्रयास हैं।

अभिवादन सहित,

आपके साथी,

ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री, एआईबीईए

ह0...
एस. नागराजन
महामंत्री, एआईबीओए